



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 1371/मा०सं० (04)/उ०नि०लि०/2011-43-मा०सं०(04)/2008(टी०सी०-11)

दिनांक 9 दिसम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० शासन, वित्त(सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या सा-3-40-वी आई०पी०/दस-2009-308-97 टी०सी० दिनांक 11.01.2010 द्वारा दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासन के शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०: 3-1508/दस-2008-308/97 दिनांक 08.12.2008, जिसे पावर कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०: 397-पे०एण्ड आर०-28/पाकालि/2009-60पी एण्ड आर०/98 दिनांक 02.03.2009 के माध्यम से उ०नि०लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०: 804/मा०सं०(04)/उ०नि० लि०/2009-43-मा०सं०(04)/2008 दिनांक 26.05.2009 द्वारा अपने पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू किये जाने हेतु अंगीकृत किया गया है, के प्रस्तर-7(1) के अंश "दिनांक 01.01.2006 से तथा उसके उपरान्त के प्रकरणों में 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है" को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर "01.01.2006 से 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, 10 वर्ष की अवधि सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से गिनी जायेगी। परन्तु 10 वर्ष की अवधि उस मामले में लागू नहीं होगी जहाँ बड़ी हुई कुटुम्ब पेंशन की 07 वर्ष की अवधि पहले ही दिनांक 01.01.2006 को पूरी हो गई थी और परिवार को दिनांक 01.01.2006 को सामान्य कुटुम्ब पेंशन प्राप्त हुई थी" प्रतिस्थापित कर दिया गया है। उ०प्र० शासन द्वारा संशोधित उक्त व्यवस्था को उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पारिवारिक पेंशनरों के लिए निदेशक मडण्डल के कार्यालय अनुमोदन की प्रत्याशा में शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र दिनांक 11.01.2010 को अंगीकृत किया जाता है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 1371 (1) मा०सं० (04)/उ०नि०लि०/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह/मा०सं०/वित्त/लेखा/पी०पी०एम०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/ लखनऊ।
4. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. उप महाप्रबन्धक/अधी०अभि० (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/(चिकित्सा/औ०सं०/रिफार्म/टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष सं० 906, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
8. जन सूचना अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज(अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
10. कट फाइल।

आज्ञा से,

(एम०डी० मिश्र)
उप सचिव (मा०सं०-04)